प्रस्तुति दिनांक /04/2016

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर

कैम्प इन्दौर निग -1084- PBK-16

1. श्रीमती शान्ताबाई पति स्व. जगदीश कुशवाह
2. राहुल पिता स्व. जगदीश कुशवाह,
3. रोहित पिता स्व. जगदीश कुशवाह
4. माधुरी पिता स्व. जगदीश कुशवाह (पति महेन्द्र कुशवाह)
5. नीलम पिता स्व. जगदीश कुशवाह
6. श्रीमती उमाबाई पति स्व. ठाकुर कुशवाह
7. तुषार पिता स्व. ठाकुर कुशवाह
8. रूपाली पिता स्व. ठाकुर कुशवाह
9. पल्लवी पिता स्व. ठाकुर कुशवाह
10. पूजा पिता स्व. ठाकुर कुशवाह

नाबालिग तर्फे पालनकर्ता माता श्रीमती उमाबाई कुशवाह
सभी निवासी – देवीसिंह मार्ग, बड़वानी
जिला बड़वानी म.प्र. .....निगरानीकर्ता/आवेदकगण

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
2. राधेश्याम पिता स्व. श्रीकृष्ण अग्रवाल,
3. सुरेश पिता स्व. श्रीकृष्ण अग्रवाल,
4. नवरतन पिता स्व. श्रीकृष्ण अग्रवाल,
   क. 2, 3, 4 निवासी – न्यू बस स्टेण्ड, बड़वानी
   जिला बड़वानी
5. रामेश्वर पिता श्री मंशाराम कुशवाह
   निवासी – देवीसिंह मार्ग, बड़वानी
   जिला बड़वानी म.प्र. ..... विपक्षी/अनावेदकगण

निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

महोदय,

उपरोक्त प्रकरण में निगरानीकर्ता/आवेदकगण तर्फे सादर निवेदन है कि,

अविरत.....

R.1087-PBR/16 बड़वानी

3.5.2016

आवेदकगण की ओर से श्री ओ०पी० शर्मा अभिभाषक एवं श्री वी० पी० गुप्ता अभिभाषक उपस्थित। शासन की ओर से श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदकगण की ओर से यह निगरानी सीमांकन आदेश दिनांक 9.3.2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में निगरानी 4.4.16 को एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं होने से निगरानी अवधि बाह्य मान्य की जाती है।

जहाँ तक प्रकरण के गुणदोष पर तर्क का प्रश्न है, आवेदकगण सीमांकन से प्रभावित है, यह प्रमाणित नहीं कर पाये। अतः निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने एवं आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।

अध्यक्ष